


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 157 /2020

दिनांक : 13.10.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. /127/2020 दिनांक 10.09.2020 के द्वारा श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, जोधपुर महानगर को दिनांक 10.09.2020 से 01.10.2020 तक 22 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 02.10.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 10.09.2020 का एक दिवस का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से
 13.10.2020


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/80/2002/ 4658

दिनांक : 13.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 4869 दिनांक 05.10.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, जोधपुर महानगर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, जोधपुर महानगर।
5. सुश्री श्वेता शर्मा (RJ0492), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-05, जोधपुर महानगर
6. संबंधित कोषालय।
7. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार